e-Mail

(303)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या : 01/भू0अ0नि0 (3) नियोजन (सेवा मुक्ति)– 14/2021 809 **पटना, दिनांक :** 31-03-2022

आदेश

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक– 1754 दिनांक 22.06.2021 के द्वारा श्री विद्यानंद विवेक, पूर्व विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के संविदा नियोजन समाप्ति के विरूद्ध प्राप्त अपील अभ्यावेदन की सुनवाई बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 की कंडिका–8 (4) के आलोक में की गई।

आरोपित से संबंधित संचिका में रक्षित अभिलेख यथा– साक्ष्य प्रदर्श आदि का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि आरोपित को सर्वे कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने, समीक्षात्मक बैठक में कार्यों के संबंध में असंतोषजनक उत्तर, शिविर में उपस्थित नहीं रहने एवं कार्यों में अभिरूचि नहीं लेने के साथ–साथ भ्रामक जानकारी देने के आरोप में इनसे निदेशालय कार्यालय ज्ञापांक– 1596 दिनांक 09.06.2021 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग पत्र प्राप्ति से तीन दिनों के अन्दर में यह अंकित करते हुए की गई है कि स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के स्थिति में यह माना जायेगा कि इन्हें कुछ नहीं कहना है एवं आरोप को प्रमाणित मानते हुए संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित तिथि एवं समय पर समर्पित नहीं करने के फलस्वरूप इनका संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

उपरोक्त पारित आदेश के विरूद्ध मेरे समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। अपील अभ्यावेदन में इनके द्वारा अंकित किया गया है कि पत्नी के कोविड ग्रस्त होने एवं इसकी सूचना वाट्सएप के माध्यम से वरीय पदाधिकारी को देने तथा अपने परिवार के देखभाल के दृष्टिगत समय पर अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सके। इनके द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि जो पत्र इन्हें भेजा गया था वह इनके निजी ई–मेल पर था, जिसमें तकनीकी खराबी के कारण समय पर उन्हें नहीं मिल सका, जिस कारण निर्धारित तिथि एवं समय पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं कर सके। अपील अभ्यावेदन में आगे यह भी अंकित किया गया है कि अगर किसी प्रकार की भूल हुई है, तो इसके लिए क्षमा प्रदान की जाए तथा इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं करेंगे।

अपील अभ्यावेदन में उठाये गए बिन्दु एवं निदेशक द्वारा पारित आदेश का गहनतापूर्वक विवेचना किया गया। विवेचनोपरांत पाता हूं कि निदेशक द्वारा मात्र निर्धारित तिथि एवं समय पर स्पष्टीकरण नहीं देने के आरोप में संविदा नियोजन समाप्त किया गया है, जो अनुचित प्रतीत होता है। निदेशक को कम से कम एक मौका और देना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है।

अतः अपील अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों एवं इनकी क्षमा याचना तथा भविष्य में ऐसा कृत्य पुनरावृत्ति नहीं करने के आश्वासन के दृष्टिगत इन्हें एक बार मौका देते हुए निदेशक द्वारा पारित आदेश 1754 दिनांक 22.06.2021 को रद्द किया जाता है एवं पुनः सेवा में लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

25/3/22

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (3) नियोजन (सेवा मुक्ति)– 14/2021 809 **पटना, दिनांक** : 31-03-2022

प्रतिलिपि :– बन्दोबस्त पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/22

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

D:\Satish-2022\Bablu Sir\Order\14-2021-01-04-2022.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

e-Mail **ज्ञापांक** : 01 / भू0अ0नि0 (3) नियोजन (सेवा मुक्ति)– 14 / 2021 ...809... **पटना, दिनांक** : 31-03-2022

प्रतिलिपि श्री विद्यानंद विवेक, पूर्व विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, C/o श्री कामेश्वर चौपाल, न्यू महावीर कॉलोनी, बेतौड़ा रोड, बेऊर, पटना–800002 E-mail : kritivivek1988@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 31/3/22
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01 / भू0अ0नि0 (3) नियोजन (सेवा मुक्ति)– 14 / 2021 ..809.. **पटना, दिनांक** : 31-03-2022

प्रतिलिपि :– प्रभारी आई0 टी0 कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ एवं निदेशालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 31/3/22
भू–अभिलेख एवं परिमाप